संख्या-539/2023/859/22-2-2023-17(175)/2009

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 अगस्त, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीराम पुत्र श्री धर्मसिंह उर्फ धर्मा, निवासी जनपद-मेरठ की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-3000/प्रो0अनु0(2)-241/2023 (बैठक दिनांक 24.01.2023) दिनांक 01.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीराम पुत्र श्री धर्मसिंह उर्फ धर्मा, किशोरपुर, थाना-हस्तिनापुर, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। (1)-पुरानी रंजिश होने के कारण दिनांक 16/17.01.1997 की रात्रि लगभग 12.00 बजे बंदी पुलिस की वर्दी में अपने 07 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रोहताश के घर का दरवाजा खुलवाकर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाकर मौजी, संजय की हत्या एवं रोहताश, नरेन्द्र व वालेश्वर को घायल कर दिया गया। धनसिंह के चचेरे भाई करतार के घर पर करतार बाबू व उसके लडके सुभाष की भी गोलियां चलाकर 6 व्यक्तियों की हत्या कर दी, (2)- दिनांक 05.11.1997 को समय 5:30 बजे सुबह रविन्द्र सिंह अपने भाई अरविन्द व जन्म सिंह के साथ अपने गांव के पास सड़क रोड पर मवाना जाने के लिए बस का इन्तजार कर रहे थे, तभी बंदी अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मार कर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी, (3)- केसों की वकालत करने वाले वकील की पत्नी श्रीमती बानों दिनांक 18.02.1996 को अपने पुत्र मुनव्वर व पुत्री एवं फरमान पुत्र अब्बास और मुस्तकीम पुत्र हनीफ और इशाक पुत्र इब्राहिम टेक्टर ट्राली से मवाना जा रहे थे। तभी बंदी अपने 05 अन्य सअभियुक्तों के साथ मिलकर श्रीमती बानो, मुस्तकीम, फरमान और मुनव्वर को गोली मार कर 3 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराधों हेतु बन्दी को (1)-सत्र परीक्षण संख्या-863/1997 में भा0द0वि0 की धारा-307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 21.04.1999 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (2)-सत्र परीक्षण संख्या-864/ 1997 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, ए0डी0जे0/एफ0टी0सी0 कोर्ट संख्या-02, मेरठ के आदेश दिनांक 28.08.2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (3)-सत्र परीक्षण संख्या-1043/97 में भा0द0वि0 की धारा-307, 148, 302/149 के मा0 न्यायालय, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 22.10.1999 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा (1)- सत्र परीक्षण संख्या-863/1997 में दिनांक 19.01.2023 तक 24 वर्ष 11 माह 22 दिन की अपरिहार तथा 31 वर्ष 03 माह 20 दिन की सपरिहार सजा, (2)-सत्र परीक्षण संख्या-864/ 1997 में दिनांक 19.01.2023 तक 24 वर्ष 11 माह 22 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 11 माह 22 दिन की सपरिहार सजा, (3)-सत्र परीक्षण संख्या-1043/97 में दिनांक 19.01.2023 तक 24 वर्ष 11 माह 22 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 11 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा बंदी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की पूर्ण आशंका होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। किमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 10.10.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि बन्दी की रिहाई के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की राय देना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी द्वारा तीन अलग-अलग घटनाओं में 11 व्यक्तियों की हत्या कारित किया गया, इससे प्रतीत होता है कि बन्दी अपराधी प्रकृति का है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं मा० दण्डन न्यायालय द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्ध बंदी श्रीराम पुत्र श्री धर्म सिंह उर्फ धर्मा को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीराम (बन्दी संख्या-13481) पुत्र श्री धर्मसिंह उर्फ धर्मा, निवासी जनपद-मेरठ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-539/2023/859(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।